संख्या-239/2020/1765/22-2-2018-17(94)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निर्मल सिंह उर्फ निम्मा पुत्र श्री मान सिंह, निवासी-जिला-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07-08-2018 दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निर्मल सिंह उर्फ निम्मा पुत्र श्री मान सिंह, झाला मरौरी थाना बिलसन्डा जिला-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.04.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राईफल व बन्दूक से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0न0 433,435/2002 धारा 302/149, 364,201,307/149,148,201/149 आई0पी0सी0 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज एस0सी0 /एस0टी0एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 22.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 18.06.2018 तक 17 वर्ष 02 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 09 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी व पीडित पक्ष के परिवार में वर्तमान में भी मनमुटाव होने, समयपूर्व मुक्ति से कोई अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल सम्भावना होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी निर्मल सिंह उर्फ निम्मा (बन्दी संख्या-40759) पुत्र श्री मान सिंह, निवासी-जिला-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-239/2020/1765(1)/22-2-2018 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in